चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(2). आज दिनाँक 29.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में गुमशुदा/अपहृतों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर द्वारा घर से भटकी 05 वर्षीय बालिका को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

उल्लेखनीय है कि कल दिनांक 28.02.2024 को चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र भ्रमणशील थे कि उन्हें एक 05 वर्षीय बच्ची दिखायी दी । चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते बच्ची के माती-पिता के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्ग ग्राम बूढ़ा सेमरवार निवासी लवलेश प्रजापति की पुत्री कुमारी प्रियंका उम्र 05 वर्ष खेलते-खेलते भटक गयी है । चौकी प्रभारी गनीवा द्वारा बच्ची के पिता से वार्ता कर उन्हे चौकी गनीवा बुलाकर बच्ची को सकुशल माता-पिता के सुपुर्द किया गया । बच्ची को पाकर माता-पिता के चेहरे की मुस्कान वापस लौटी । परिजनों द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त करते हुये सराहना की गयी ।

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी गनीवा श्री राजोल नागर
2. आरक्षी शैलेन्द्र सिंह
3. आरक्षी प्रमोद कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी चुनान के दृष्टिगत अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. प्रवीण पुत्र मूलचन्द्र 2. मूलचन्द्र पुत्र अदालती निवासी भट्ठा थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(5). आज दिनांक 29.02.2024 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद चित्रकूट के फायर स्टेशन राजापुर, फायर स्टेशन मानिकपुर, फायर स्टेशन मऊ में नवनिर्मित आवासीय भवनों का वर्चुअली लोकार्पण किया गया।

इस दौरान राजापुर फायर स्टेशन में आयोजित इस समारोह में माननीय विधायक मऊ-मानिकपुर श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, नगर पंचायत अध्यक्ष राजारपुर श्री संजीव मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि श्री शक्ति सिंह आदि जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके साथ-साथ लोकार्पण के समय पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद झा, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय श्री राज कमल, सीएफओ फतेहपुर श्री उमेश गौतम, प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री सतीश कुमार सिंह पीआरओ श्री प्रदीप पाल सहित सैकडों गणमान्य नागरिकों एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण ने उपस्थित रहकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचारों से लाभान्वित हुये।

इन फायर स्टेशनों पर आवासीय भवनों के लोकार्पण से फायर सर्विस के अधिकारी/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।

(6). आज दिनाँक 29.02.2024 को पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की उपस्थिति में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे उ0नि0 श्री मुन्नीलाल एवं मुख्य आरक्षी श्री प्रभुदयाल को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गयी। इस दौरान सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी/कर्मचारी एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत हो रहे अधिकारी/कर्मचारी से कहा गया कि वह घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें, अपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूं।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रभारी एसओजी/सर्विलांस श्री एम.पी. त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री परशुराम यादव तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुनील पुत्र भुलुक्कू हरिजन निवासी दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ किया गिरफ्तार। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री परशुराम यादव थाना पहाड़ी
2. उ0नि0 श्री मातादीन
3. आरक्षी गुड्डू यादव

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा जिला बदर अपराधी राजाबाबू द्विवेदी पुत्र विजय कुमार द्विवेदी निवासी औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। जिलाधिकारी चित्रकूट के जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर राजाबाबू द्विवेदी के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 10 यूपी0 गुण्डा एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किय गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा
3. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली कर्वी श्री राकेश कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 139/2024 धारा 376 भादवि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त आदित्य पुत्र रामबहादुर रैदास निवासी ठर्री थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली कर्वी श्री राकेश कुमार सिंह
2. आरक्षी सुरेन्द्र कुमार

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0 डि0)/एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त नन्हेलाल पुत्र शुकरु निवासी हस्ता देवारी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट व चौधरी पुत्र भैरा निवासी अर्की थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 500-500 रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पंजीकृत मु0अ0सं0 629/2018 धारा 279,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त हरीप्रसाद पुत्र विश्वनाथ प्रसाद निवासी गोसाईंपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 2000 रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(12). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण

कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पंजीकृत मु0अ0सं0 705/2017 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त हरीशंकर पुत्र सत्यनारायण निवासी भैंरोपागा जनकपुरी निकट रामपुरी मछली मण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 2000 रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।